

30प्र0 विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम बुद्धवार हेतु डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तरालेख।

प्रश्न संख्या

प्रश्न

उत्तर

09- (क) क्या होमगार्ड्स मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में होमगार्डों के पारिश्रमिक भत्ते तथा अन्य सुविधों बढ़ाये जाने के संबंध में कोई कार्य योजना विचाराधीन है?

जी नहीं, होम गार्ड्स अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- 59/2019/1834/पन्चानबे-19-46 रिट/15 टी0सी0 III, दिनांक 23-09-2019 द्वारा दिनांक 06-12-2016 से होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का इयूटी भत्ता, पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन 18,000/- को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन रू0 600/- एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए, अनुमन्य किया गया है। महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के साथ इनके दैनिक इयूटी भत्ते में भी परिणामस्वरूप स्वतः वृद्धि होती है। होमगार्ड्स स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी है। होमगार्ड का मानदेय/भत्ता बढ़ाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

उपरोक्तानुसार।

धर्मवीर प्रजापति
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)